45

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1604–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–2–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 836/अपील/2007–08.

ठाकुरदीन तनय स्व0 मंगलदीन पटेल
निवासी नौढिया थाना लौर तहसील
मऊगंज जिला रीवा

-----आवेदक

विरूद्ध

1. रघुनाथ प्रसाद तनय सरजू पटेल
2. रामदास तनय ठाकुरदीन
   निवासी नौढिया थाना लौर तहसील
   मऊगंज जिला रीवा

-----अनावेदकगण

— — — — — —

श्री श्यामराज सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0एम0पी0 पटेल, अभिभाषक, अनावेदकगण

— — — — — —

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 25 जून 2015)

— — — — —

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–02–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण ने वर्ष 11–1–1996 को आराजी खसरा कमांक 319/2 रकवा 0.51 एकड़ स्थित ग्राम नौढिया में इस आधार पर कब्जा दखल अंकित किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक के पूर्वज स्वर्गीय तुलसी ने उक्त भूमि

को अनावेदकगण के पूर्वज सरजू के हक में विकय कर काबिज करा दिया है तभी से उनका कब्जा दखल रहा व उसकी मृत्यु के बाद अनावेदकगण मौके काबिज दखल है, अतः राजस्व अभिलेख में उनका कब्जा अंकित किया जाये। नायब तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने के उपरांत दिनांक 24—5—2006 को कब्जा दखल अंकित किये जाने का आदेश दिये। आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26—5—08 के द्वारा अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त को अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 05—2—13 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर नायब तहसीलदार का आदेश यथावत रखा। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त ने इस ओर गौर नहीं किया कि विचाराधीन भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जो पारिवारिक हिस्साबांट में आवेदक को प्राप्त हुई थी, जिस पर वह काबिज दखल चला आ रहा है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदकगण के पूर्वजों को विचाराधीन भूमि का कोई भू—भाग जरिए विकय पत्र के हस्तान्तरित नहीं किया था न ही कब्जा दखल हस्तान्तरित किया था। अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा कब्जा दखल होना प्रमाणित नहीं किया है। यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय को नवीन इन्द्राज सृजन करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसील न्यायालय ने आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कर अनावेदकगण का नाम इन्द्राज कर दिया जो विधि के विपरीत है। तर्क में कहा कि तहसीलदार को संहिता की धारा 115—116 के आवेदन

पर कब्जा दर्ज करने की अधिकारिता नहीं है। इस सम्बन्ध में मान0 राजस्व मण्डल द्वारा अनेक प्रकरणों में यह स्थापित किया गया है कि उदाहरण के लिए 2006 आर एन 104, 2007 आर एन 199 एवं 2002 आर एन 59 । आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क किया कि नायब तहसीलदार ने मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये जबकि उसी राजस्व निरीक्षक के साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके प्रतिवेदन को गलत साबित किया था और पटवारी का प्रतिवेदन दिनांक 27—9—2000 को सही बताया था, जिसमें आवेदक को भूमिस्वामी होना एवं आवेदक का ही कब्जा होने का लेख किया था। तहसील न्यायालय सहित दोनों अपीलीय न्यायालय में आवेदक ही भूमिस्वामी माना गया है। तहसील न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तथा अनावेदक का कब्जा लिखने का आदेश दिया। अपर आयुक्त ने भी इस तथ्य पर विचार न कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि नायब तहसीलदार ने विधिवत जांच करने के उपरांत कब्जा दर्ज करने के आदेश दिया है, जिसे अपर आयुक्त ने स्थिर रखा है। तर्क में यह भी कहा गया कि नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से दिनांक 9—11—2000 को प्रतिवेदन मंगाया जिसमें अनावेदकगण का 20 वर्षों से कब्जा होना पाया। पंचनामा एवं मौके की स्थिति अनुसार ही नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त ने विधिवत आदेश पारित किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक के तर्क एवं तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने

विचाराधीन भूमि के संबंध में आवेदन पेश किया, जिसमें 40 वर्ष पूर्व जरिये बेची से स्वत्व प्राप्त होने एवं कब्जा दखल होना बताया और मौके की स्थिति अनुसार कब्जा दर्ज करने हेतु लेख किया, परन्तु अनावेदकगण ने आवेदन के साथ किसी तरह का विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 4—2—96 में अनावेदकगण का कब्जा होना एवं सरसों की फसल होने का लेख है। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर पुनः पटवारी प्रतिवेदन मंगाने की मांग की जिसपर नायब तहसीलदार ने पुनः पटवारी प्रतिवेदन मांगा। तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न दिनांक 3—9—2000 को प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन में आवेदक ठाकुरदीन का स्वत्व एवं कब्जा होने का उल्लेख किया तथा पंचनामा दिनांक 27—9—2000 के पंचनामा में भी भूमिस्वामी एवं कब्जेदार आवेदक को बताया है। जहां तक राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 9—11—2000 का प्रश्न है जिसके द्वारा अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना बताया है उक्त प्रतिवेदन को राजस्व निरीक्षक ने साक्ष्य के समय दिनांक 8—8—2002 के प्रतिपरीक्षण में स्वयं गलत बताया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 9—11—2000 के आधार पर कब्जा दर्ज करने के आदेश को उचित नहीं माना है, क्योंकि उक्त प्रतिवेदन को उसी राजस्व निरीक्षक ने स्वयं प्रतिपरीक्षण में गलत होना बताया है। भूमि के विकय पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित नहीं किया जा सका। तहसील न्यायालय ने अनावेदकगण के आवेदन पर कब्जे का इन्द्राज करने का आदेश दिया, जबकि संहिता की धारा 115—116 में तहसीलदार को नवीन पृविष्ट की अधिकारिता नहीं है। राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में यह प्रतिपादित किया जा चुका है, धारा 115—116 में मात्र खसरे में की गई किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि

को सुधारने की अधिकारिता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है 2006 आर एन 104 जिसमें निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है—

''भू—राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)— धारा 121, 115 तथा 116——नि. 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन)—— नियमों में खसरा तैयार करने के लिए निदेश और प्रकिया का उपबंध है——नियमों के अधीन कोई मामला विनिश्चत नहीं किया जा सकता——किसी भी धारा अर्थात 115, 116 तथा 121 के अधीन कब्जा अभिलिखित नहीं किया जा सकता——कब्जा अभिलिखित करने के लिए धारा 121 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता। ''

इस प्रकार नायब तहसीलदार ने भूमिस्वामी के स्थान पर अनावेदकगण का राजस्व अभिलेख में कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया है वह विधि विपरीत होने से अनुविभागीय अधिकारी ने उसे निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त ने तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में वैधानिक त्रुटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26—5—08 स्थिर रखा जाता है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 24—5—06 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5—2—13 निरस्त किये जाते हैं।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर